

नगर परिषद, खैरथल

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KHAIRTHAL/FIRENOC/2025-26/58919
जारी दिनांक: 24-NOV-2025 वैधता दिनांक: 23-NOV-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: AJAD SINGH
आवेदक का पता: VPO MATOR, KHAIRTHAL

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन ENGINEERS POINT SR SEC SCHOOL, 00, MATOR ROAD, DANTALA, KHAIRTHAL, KHAIRTHAL-TIJARA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र वैधता अवधि तक मान्य होगा। वैधता अवधि से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिव्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतू 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहाँ पर रुफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

Signed by: Mukesh Kumar Sharma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KHAIRTHAL, Rajasthan
Date: 24/11/2025 12:36:35




अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, खैरथल

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. NOC/Fin/Alwar/24/08Dated: 28/07/2025


Certified that the Engineer point Sr. Sec. School (name of the building) or premises at Khairthel (address) comprised of basement(a) and G.F. 2 (upper floors) owned/ occupied by Engineer point Sr. Sec. School (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT, Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 26/07/2024 (date of inspection) in the presence of (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes upto XII (XI XII) with effect from 28/07/2025 for a period of one year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.


राजेश कुमार
इंजीनियर्स पॉइंट शिक्षा समिति
अलवर (अलवर) राज०

Issued on 28/07/2025 (date of issue) at Alwar (place) by


*Strike out whichever is not applicable.


राजेश कुमार
प्रधानाचार्य (H-1021094)
इंजीनियर्स पॉइंट उच्च माध्यमिक शिक्षा समिति
अलवर (अलवर) राज०

Signature with Seal:

Name : Ranveer MeeraDesignation : Fire OfficerName & Address of Department/ Office: Nafar parsend Alwar

To
Engineer point Sr. Sec. School
Motor Road, Khairthel Alwar (R.O)
(Name & Address of the Institution)


रानवीर मेरा
अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन अधिकारी
इंजीनियर्स पॉइंट शिक्षा समिति
अलवर (अलवर) राज०

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a sin